



1277 - यदि मुसलमान रमजान के दौरान किसी दूसरे देश में स्थानान्तरित हो जाये

प्रश्न

यदि मुसलमान रमजान के महीने में किसी दूसरे देश में स्थानान्तरित हो जाये जो रोज़ा शुरू करने में उस से भिन्न है, तो उसे क्या करना चाहिए ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

जब इंसान किसी ऐसे देश में मौजूद हो जिसके वासियों ने रोज़ा शुरू कर दिया हो तो उस पर उन के साथ रोज़ा रखना अनिवार्य है। क्योंकि इस मामले में जो आदमी किसी देश में मौजूद हो तो उसका हुक्म उसके वासियों के समान है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : "रोज़ा का दिन वह है जिस दिन तुम रोज़ा रखते हो, और रोज़ा तोड़ने (रोज़ा रखना बन्द कर देने) का दिन वह है जिस दिन तुम रोज़ा तोड़ देते हो, और कुरबानी का दिन वह है जिस दिन तुम कुरबानी करते हो।" इसे अबू दाऊद ने जैयिद सनद के साथ रिवायत किया है, और इस हदीस के उन के यहाँ और उन के अलावा दूसरों के यहाँ शवाहिद भी हैं।

तथा मान लो कि यदि वह उस देश से जिस के वासियों के साथ रोज़ा रखना शुरू किया था, दूसरे देश में स्थानान्तरित हो जाये, तो उस का हुक्म रोज़ा तोड़ने और रोज़ा जारी रखने में उस देश का हुक्म होगा जहाँ वह स्थानान्तरित होकर गया है। चूनांचि वह उन के साथ रोज़ा तोड़ दे गा (रोज़ा रखना बन्द कर देगा) यदि वे उस देश से पहले ही रोज़ा तोड़ देते हैं जिसके साथ उस ने रोज़ा रखना शुरू किया था। लेकिन यदि उस ने 29 दिन से पहले ही रोज़ा बन्द कर दिया, तो उस पर एक दिन की क़ज़ा करना अनिवार्य है ; क्योंकि (हिज्री) महीना 29 दिन से कम नहीं होता है।